प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन हासिल करना, या **(ii)** छद्मरूपेण या **(iii)** किसी अन्य व्यक्ति से छद्मरूपेण प्राप्त करना या **(iv)** बनावटी/छेड़छाड़ किए गए दस्तावेज प्रस्तुत करना या **(v)**गलत या झूठी सूचनाएं देना या **(vi)** चयन हेतु अपनी उम्मीदवारी के समर्थन में कोई भी अन्य अनियमित या अनुचित तरीके अपनाया जाना या **(vii)**परीक्षा के दौरान गलत तरीके अपनाया जाना या मोबाइल फोन, कैलकुलेटर या कोई अन्य इसी तरह का उपकरण साथ में रखना, ले जाना या प्रयोग करना या **(viii)** प्रश्न–पत्र में अभद्र/अश्लील भाषा सहित असंगत बातें लिखना या **(ix)** परीक्षा हॉल में किसी भी अन्य तरह की गड़बड़ी करना या **(x)** परीक्षा के आयोजन के लिए आरआरसी/उ.म.रे. द्वारा नियुक्ति कर्मचारियों को परेशान करना या कोई शारीरिक नुकसान पहुँचाना। उनके विरूद्ध नियमों/कानूनों के संगत प्रावधानों के तहत आपराधिक कार्रवाई किए जाने के अलावा निम्न कार्रवाई की जा सकती है:– (क) आरआरसी/एनसीआर द्वारा उस पद के चयन के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, जिसके लिए वे उम्मीदवार हैं या (ख) किसी भी रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ/रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा अयोजित किसी भी परीक्षा या चयन से स्थाई रूप में या आरआरसी/उमरे द्वारा निर्धारित अवधि के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है। (ग) यदि वह पहले से सेवारत है तो उपयुक्त नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

16. परीक्षा केन्द्र का फैसला आरआरसी/उमरे द्वारा किया जाएगा तथा इसका उल्लेख लिखित परीक्षा में उपस्थित होने के वास्ते उम्मीदवारों को जारी किए जानेवाले प्रवेश–पत्र में किया जाएगा।

17. सभी पुरूष उम्मीदवारों को रेलवे इकाई या किसी अन्य इकाई में समय–समय पर निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप, सक्रिय प्रादेशिक सेना में सेवा करनी पड़ सकती है।

18. चयनित उम्मीदवारों को एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए स्टाइपेंड के साथ, (जहाँ कहीं आवश्यक हैं), प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा जमानत राशि जमा करना होगी और एक इन्डेमनिटी बॉण्ड या एग्रीमेंट अधिशासित करना होगा।

19. बाद में उम्मीदवारों को समय–समय पर लागू नियमों/आदेशों के अनुरूप उच्चतर ग्रेडों में पदोन्नति देने पर विचार किया जाएगा।

20. चयनित उम्मीदवारों को उपयुक्त समय पर भारतीय रेल द्वारा आवश्यकतानुसार तैनात किया जा सकता है, लेकिन किसी विभाग या डिवीजन विशेष में तैनाती का आश्वासन नहीं दिया जा सकता।

21. किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में केवल केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, इलाहाबाद का अधिकार क्षेत्र होगा।

22. किसी तरह का विवाद होने पर रोजगार सूचना का अंग्रेजी रूपान्तर वैध होगा।

23. रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ का फैसला अन्तिम होगा: अभ्यर्थी की पात्रता, आवेदन को स्वीकारने या नामंजूर करने, निःशुल्क रेल पास जारी किए जाने, झूठी सूचना के लिए दण्ड, चयन के तरीके, परीक्षा के आयोजन, परीक्षा केन्द्र के आवंटन, चयनित उम्मीदवारों को पद/स्थान के आवंटन तथा भर्ती प्रक्रिया सें संबंधित सभी मामलों में उप मुख्य कार्मिक अधिकारी आरआरसी/उमरे का निर्णय अन्तिम और उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होगा तथा इस संबंध में किसी तरह की पूछताछ या पत्र–व्यवहार पर विचार नहीं किया जाएगा।

महत्वपूर्ण: रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद ने अपनी ओर से कार्रवाई के लिए कोई एजेन्ट या कोचिंग सेंटर नियुक्त नहीं किया है। उम्मीदवारो को ऐसे किसी व्यक्ति/एजेंसियों के किसी दावे के प्रति सचेत किया जाता है। लिखित परीक्षा के लिए ओएमआर उत्तरपत्र का प्रयोग किया जाएगा तथा कम्प्यूटर से इसका मूल्यांकन किया जाएगा। उम्मीदवारों का चयन पूर्णतः मैरिट के आधार पर किया जाएगा। बेईमान तत्वों से कृपया सावधान रहें और उनके बहकावें में न आएं।

उप मुख्य कार्मिक अधिकारी (भर्ती), रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ,

उत्तर मध्य रेलवे

उम्मीदवारों को जाति प्रमाण–पत्र उपयुक्त प्राधिकारी से निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त कर लेना चाहिए तथा सत्यापन के समय मूल प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना चाहिए, ऐसा न करने पर वे अयोग्य ठहराये जा सकते हैं, विवरणिका के अध्याय 13 के अनुसार यह अनिवार्य है (भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेन्शन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली द्वार प्रकाशित), चूँकि बड़ी संख्या में उम्मीदवार उपयुक्त प्राधिकारी से भिन्न अधिकारी द्वारा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। अतः उन्हें परामर्श दिया जाता है कि वे अनुदेशों का कठोरता से पालन करें।

अजा/अजजा उम्मीदवारों हेतु जाति प्रमाण–पत्र का प्रारूप

परिशिष्ट– I

1. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति से संबंधित उम्मीदवारों द्वारा अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण–पत्र का प्रारूप–

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... पुत्र/पुत्री श्री .....
निवासी ग्राम/कस्बा ..... जिला/संभाग ..... राज्य/संघ .....
..... अनुसूचित जाति/जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है,

1. संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950
2. संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950
3. संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ क्षेत्र) आदेश 1951
4. संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ क्षेत्र) आदेश 1951 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन) आदेश 1956, मुम्बई रिआर्गेनाइजेशन एक्ट 1960, पंजाब रिआर्गेनाइजेशन एक्ट 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970 तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र (रिआर्गेनाईजेशन) अधिनियम 1971 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित।
5. संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956, संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1956
6. संविधान (अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1962 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976, द्वारा यथा संशोधित
7. संविधान (दादर एवं नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962
8. संविधान (दादर एवं नागर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962,
9. संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964
10. संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967,
11. संविधान (गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968
12. संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970,
13. संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978,
14. संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978,